संशोधन

संख्या- 194 /2024 / 1169 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय:- भारत सरकार की टैगोर कल्चरल काम्प्लेक्स योजनान्तर्गत बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण परियोजना हेतु राज्यांश की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2024 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 184 /2024 / 1115 /चार-2024 दिनांक 27 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 184 /2024 / 1115 /चार-2024 दिनांक 27 मार्च, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2024 के प्रस्तर-3 में अंकित 'राज्यांश के रूप में रू0 166.66 लाख (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि' के स्थान पर 'राज्यांश के रूप में रू0 166.00 लाख (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख मात्र) की धनराशि' पढ़ा जाये तथा शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2024 के प्रस्तर- 4 में अंकित 'रू0 166.66 लाख को संक्रमित कर' के स्थान पर 'रू0 166.00 लाख को संक्रमित कर ' पढ़ा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 184 /2024 / 1115 /चार-2024 दिनांक 27 मार्च, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 194 /2024 / 1169 (1) /चार-2024 तद्दिनांक ।

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अनु सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पुरातत्व भवन, डी-ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 05.02.2024 के संदर्भ में ।
4. महाप्रबन्धक (लखनऊ अंचल-1), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निदेशक, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-14, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
10. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in